

## असाधारग

EXTRAORDINARY

माग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 329] मई विल्ली, गुक्रवार, ग्रक्तूबर 26, 1979/कार्तिक 4, 1901 No. 329] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 1979/KARTIKA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be file. I as a separate compilation

# विधि, न्याय और कम्पनी कार्य संत्रालय (विधि कार्य विभाग)

# अधिस्चना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1979

- सा. का. नि. 587(अ) केन्द्रीय सरकार, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 49-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-(1) इन नियमों का नाम अधिववता (विधि अध्यापन अधिकार) नियम, 1979 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाए :--इन नियमों में ''अधिनियम'' से अधिवक्ता अधि-नियम, 1961 (1961 का 25) अभिप्रेत हैं।

(1271)

- 3. विधि व्यवसायी अधियकताओं का विधि अध्यापन अधिकार :—(1) अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विधि व्यवस्थायत कोई अधिवक्ता किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में, जैक्किक्सालय अमुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) वे अर्थान ति क्रिके किसी विश्वयिद्यालय सिंसम्बद्ध है, एक दिन में अधिक से अधिक तीन घंटे के लिए विधि अध्यापन कार्य कर सकता है।
- किसी ऐसे शैक्षिय कोई अधिवक्षता किसी ऐसे शैक्षिणक संस्थान में विधि अध्यापन के लिए नियोजित किया जाता है तो ऐसा नियोजन, जब उसके विधि अध्यापन कार्य में नियोजन का समय तीन घंटे से अधिक नहीं है, अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए, अंशकालिक नियोजन समभा जाएगा और इस बात पर भ्यान नहीं दिया जाएगा कि अधिवक्षता अधवा ऐसे नियोजन को या उसके लिए प्रप्त पारिश्रमिक (नियत राशि के रूप में या काल बेतन मान है आधार पर या किसी अन्य रीति में) को किस रीति से वर्णित करता है।

[सं. फा 8(33)/77-आई. सी.]

एस. के. बहाबुर, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

#### MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

### (Department of Legal Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1979

\*G.S:R. 587(E).—In exercise of the powers conferred by section 49A of the Advocates Act 1961 (25 of 1961), the Central Government hereby make the following rules, namely:—

- 1. Short tific and commencement.—(1) These rules may be called the Advocates (Right to Take Up Law Teaching) Rules, 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these rules, "Act" means the Advocates Act, 1961 (25 of 1961).
- 3. Right of practising advocates to take up law teaching.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any rule made under the Act, an advocate may, while practising, take up teaching of law in any educational institution which is affiliated to a university within the meaning of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), so long as the hours during which he is to engaged in the teaching of law do not exceed three hours in a day.
- (2) When any advocate is employed in any such educational institution for the teaching of law, such employment shall, if the hours during which he is so engaged in the teaching of law do not exceed three hours, be deemed, for the purposes of the Act and the rules made thereunder, to be a part-time employment irrespective of the manner in which such employment is described or the remuneration receivable (whether by way of a fixed amount or on the basis of any time scale of pay or in any other manner) by the advocate for such employment.

[No. F. 8(33)/77-1C] S. K. BAHADUR, Joint Secretary and Legal Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVE. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELIHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979